Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)
प्रेस नोट

- डूंगरपुर में आरोपी जीवण लाल हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस 5,000/—रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 29 जुलाई, मंगलवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी डूंगरपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी जीवण लाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना चौरासी जिला डूंगरपुर को परिवादी से **5,000/— रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी डूंगरपुर इकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के भाई व भतीजे को पुलिस थाना चौरासी (झौंथरी) के जीवण लाल सहायक उप निरीक्षक द्वारा थाने में ले जाकर बन्द कर दिया गया। परिवादी द्वारा पुलिस थाना चौरासी पर जाकर जीवनलाल सहायक उप निरीक्षक को उसके भाई व भतीजे को बन्द क्यो किया है पुछा तो आरोपी ने कहां 4 महीने पहले एक व्यक्ति व भतीजे ने लाबासादोड में झगड़ा किया था। जिस पर परिवादी द्वारा अपने भाई को छोड़ने का कहां तो आरोपी ने कहा की अन्य व्यक्ति को लाओ और शंकर को ले जाओ। जिस पर अन्य व्यक्ति को लाया व परिवादी के भाई को छोड़ा गया परिवादी द्वारा अपने भतीजे व अन्य व्यक्ति को छोड़ने का कहॉ तो आरोपी द्वारा 10,000/— रूपये की रिश्वत राशि मांगी गई। जिस पर दिनांक 26.07.2025 को नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन रूबरू वार्ता करवाई गई। जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी से 3000/— रूपये रिश्वत राशि ली गई व शेष 7,000/— रूपये ग्रहण करने की सहमती देने की पुष्टि हुई।

जिस पर एसीबी उदयपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री प्रहलाद सिंह कृष्णिया** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी डूंगरपुर के **पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह** के नेतृत्व में मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी जीवण लाल पटेल निवासी गांव कनबा पुलिस थाना बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना चौरासी जिला डूंगरपुर को परिवादी से अपनी मांग अनुसार 5,000/— रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ कर रिश्वत राशि बरामद की गई।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।